(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 208 / 2020
रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2020 / 00184

बउनवान

1. पन्नालाल पुत्र नन्दा जाति धाकड निवासी नियाना तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ
2. प्रभूलाल पुत्र नन्दा जाति धाकड निवासी नियाना तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ
3. छीतरलाल पुत्र नन्दा धाकड निवासी नियाना तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ
3. श्योजी उर्फ शिवराज पुत्र नन्दा धाकड निवासी नियाना तहसील छीपाबडौद

(अपीलांटगण)

बनाम

1. विक्रम सिंह पुत्र भगवान सिंह राजपूत निवासी बम्बोरी घाटा तहसील छीपाबडौद
2. तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रकरण संख्या 02 / 2011 मे अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 20.04.2012 की अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री आर.पी. गोयल अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट क्रम 1)
3– परोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट क्रम 2)

निर्णय दिनांक 14.03.2022

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अपील तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रकरण संख्या 02 / 2011 मे अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 20.04.2012 की अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के मियाद बाहर प्रस्तुत कर लिमिटेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अपील के साथ संलग्न किया गया।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 11.08.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलांट के अभिभाषक की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर, प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पाारित निर्णय / आदेश की क्रियान्विती आगामी आदेश तक स्थगित रखी गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रांक / राजस्व / 2021 / 679 दिनांक 24.11.2021 से अवगत करवाया गया कि मूल पत्रावली तलाश किये जाने पर कार्यालय मे नही मिली। पत्रावली नही मिलने पर उसके स्थान पर रेस्पो0 द्वारा निर्णय की पालना [illegible] संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने संबंधित पत्रावली भिजवाई गई। प्रकरण मे रेस्पो0 के अभिभाषक द्वारा लिमिटेशन प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसकी [illegible] प्रति अपीलांट के अभिभाषक को तकसीम की जाकर प्रकरण मे सर्वप्रथम लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर विस्तृत बहस उभयपक्ष की अभिभाषक की सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:32:16 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति मे पक्षकारों को बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को धारा 251 आर.टी.

एक्ट के प्रार्थना पत्रों की सुनवायी करने का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार नही है। धारा 251 आर.टी. एक्ट के प्रार्थना पत्र की सुनवाई का प्रथमतः क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त होने से अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251 आर.टी.एक्ट के प्रकरण को सुनवायी हेतु ग्राम पंचायत को न भेजकर स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवायी कर पारित किया गया निर्णय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकारहीन अधिकारातीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने मे पत्रावली पर मौजूद नक्शा ट्रेस मे अप्रार्थीगण/अपीलांटगण के खसरा नमबर 175 के दक्षिण मे संयुक्त मेढ से लगवा खसरा नम्बर 174 है। खसरा नम्बर 174 के काश्तकारों को पक्षकार बनाये बिना ही अप्रार्थीगण/अपीलांटण की आराजी मे नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है। जो अवैधानिक एवं मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी के बिना भगवान सिंह के संयुक्त खाते की आराजियात खसरा नम्बर 171, 172,173,163,164,167,168,थी। सभी संयुक्त खातेदारान गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 177 से 172, 173 पर होकर अपनी आराजी को काश्त करते चले आ रहे है। संयुक्त खाते का बंटवारा होने के उपरांत अपीलांटगण के खाते की आराजी पर रास्ता कायम करवाना चाहते है। खसरा नम्बर 175 की मेढ से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का कभी भी रास्ता नही रहा। उक्त समस्त रिकॉर्डेड तथ्यों को हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट मे जान बुझकर प्रकट न कर मिथ्या रिपोर्ट तैयार की है। जो राजस्व रिकॉर्ड से असंगत है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड को अनदेखा कर हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार बनाकर नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

रेस्पोडेन्ट को नया रास्ता कायम करवाने हेतु अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी. एक्ट मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद मे जाना चाहिये था। उक्त प्रकरण मे मूल पत्रावली तहसील से गुम है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा निर्णय से आठ वर्ष पश्चात पालना हेतु कार्यवाही पेश की। अपीलांटगण की तलबी के नोटिस के साथ निर्णय की फोटोप्रति भिजवाई तब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति मे प्रार्थना पत्र खारिज करने के बजाय एक तरफा निर्णय की छायाप्रति अपीलांटगण को भिजवायी। तब अपीलांटगण ने सम्पूर्ण पत्रावली की प्रतिलिपी हेतु दिनांक 24.06.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे इस नोट के साथ खारिज किया कि तलाश करने पर पत्रावली नही मिली, खारिज प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि दिनांक 29.07.2020 को प्राप्त की। अपीलांटगण निर्णय की छायाप्रति से अपील पेश कर रहे है। उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 24.06.2020 से खारिज प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि प्राप्ति दिनांक 29.07.2020 की अवधि से अपील अवधि मध्य पेश है। इसके लिये मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र पृथक से संलग्न अपील है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. (17) 2010 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थन अजमेर प्रकरण संख्या निग/टीए/6470/08/दौसा रामफूल बनाम रामसहाय एवं 2016 आर.बी.जे. 539 न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर अपील 3443/14/एल.आर. /श्रीगंगानगर कालूराम बनाम भूपराम आदि प्रस्तुत कर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2012 निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 18:32:16 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा दौरान बहस कहा गया कि अपीलांटगण द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2012 की 8 वर्षो से भी ज्यादा अवधि के बाद काफी विलम्ब से पेश की गई तथा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य वास्तविक स्थिति से सर्वथा विपरीत है। डिले को दिन प्रतिदिन कन्डोन करने बाबत कोई तथ्य पत्रावली पर नही है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आधार ना तो रिजनेबल एण्ड सफिसियन्ट है बल्कि गुड रिजन भी नही है। अपीलार्थीगण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथो से नही आये है। अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट को बताये रास्ते में अवरूद्व किया तब कार्यवाही विद्वान तहसीलदार के न्यायालय मे पेश की। अपीलार्थीगण का यह कथन कतई निराधार है

कि निर्णय की जानकारी दिनांक 24.06.2020 को हुई, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थीगण उपस्थित हुये उन्होने अपनी ओर से पैरवी करने वास्ते अभिभाषक नियुक्त किया। अधीनस्थ न्यायालय मे कार्यवाही मे उपस्थित होकर प्रकरण को डिफेन्ड किया तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के समय अपीलार्थीगण उपस्थित थे। लिहाजा अपीलार्थीगण का जानकारी के बाबत कथन कतई निराधार है। अपीलार्थीगण को उक्त निर्णय की जानकारी निर्णय पारित करते समय थी।

रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट मे अपीलार्थीगण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे उन्होने प्रकरण को डिफेन्ड करने के लिये अभिभाषक नियुक्त कर प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मे भाग लिया। अपीलार्थीगण एवं उनके अभिभाषक की उपस्थिति मे ही निर्णय पारित किया गया। लिहाजा अपीलार्थीगण को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का बखूबी ज्ञान निर्णय तारीख से था। प्रकरण से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली यदि तलाश किये जाने पर नही मिलती है तो यह जिम्मेदारी रेस्पोडेन्ट की नही है बल्कि संबंधित न्यायालय की है। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत (Citation 2021 (4) DNJ (SC) 1046) SUPREM COURT OF INDIA एवं 2018–2019 (Supp.) RRT 581 एवं 2021 (2) RRT 1250 एवं 2021 (2) RRT 1301 एवं 2021 (4) Civil Court Cases 397 J&K Jammu & Kashmir High Court द्वारा आदि प्रस्तुत कर अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रकरण संख्या 02/2011 मे अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 20.04.2012 का अवलोकन करने से पाया गया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्ट का खाते की भूमि ग्राम नियाना खसरा नम्बर 163/26.08 एवं 164/27.02 पर आने जाने का रास्ता बन्द कर दिया गया है। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया और उनके द्वारा प्रकरण मे अभिभाषक श्री बृजमोहन मालव को दिनांक 20.07.2011 को नियुक्त किया जाकर दिनांक 13.10.2011 को जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह साबित होता है कि अपीलांटगण को उक्त प्रकरण की प्रारम्भ से ही जानकारी थी, सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है एवं इस न्यायालय मे 8 वर्ष से भी अधिक समय बाद दिनांक 10.08.2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपील प्रस्तुत की गई है। इससे अपीलांट की लापरवाही ही दृष्टिगोचर होती है। प्रकरण मे अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर साबित नही होते है। अपीलांट अपनी अपील के प्रति सजग नही रहा है एवं अपील प्रस्तुत करने मे हुई 8 वर्ष की देरी का कोई समुचित कारण नही बता पाया है। जिससे अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को माफ नही किया जा सकता है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से यह न्यायालय अपील खारिज किया जाना उचित समझता है।

अतः परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:32:16 IST
Reason: SelfAttested

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ